उत्तर प्रदेश में तारों का रोका जाना

1917. **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री 18 दिसम्बर, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अध्यापकों द्वारा संसद् सदस्यों को भेजे गये तारों को रोके जाने के बारे में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस मामले की विधिवत जांच की गई थी । जैसा कि पहले बताया गया है उक्त तार भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (i) (ख) के अन्तर्गत सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा रोके गये थे ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Refugees from East Pakistan

1918. SHRI HIMATSINGKA :
SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI A. SREEDHARAN :
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR :
SHRI S. R. DAMANI :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether a large number of refugee families of East Pakistan staying in Bihar and other refugee camps had come down to Delhi towards the end of December last for presenting to Government their pitiable plight in the camps and seeking help of Government in improving their conditions in the camps ;

(b) if so, the conditions in camps as presented by each group of these refugees ; and

(c) the steps which are being taken by Government to improve their lot ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) No ; it is not a fact that a large number of refugees from East Pakistan staying in Bihar and other refugees camps had come to Delhi. The migrants from East Pakistan, who came to Delhi, came from sites of rehabilitation in Bihar and Madhya Pradesh to which places they had earlier been shifted from the relief camps where they had still earlier been lodged.

(b) and (c). Do not arise.

भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (i) (ख) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में तारें रोक लेना

1919. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भारतीय तार अधिनियम की धारा 54 (i) (ख) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न डाक घरों में कितने तार रोके गये और उनमें से कांग्रेस दल के तार कितने थे ;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त धाराओं के संशोधन करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत निर्णय करने का अधिकार किसको है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि किसी सत्ताधारी दल के अनुरोध पर अथवा उनके प्रभाव में आकर डाक अधिकारी इस धारा का दुरुपयोग न करने पायें ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1 अप्रैल, 1965 से 21 फरवरी, 1969 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 (i) (ख) के अन्तर्गत रोके गए कुल तारों की संख्या 57 थी । चूंकि ये आंकड़े दलों के हिसाब से नहीं रखे जाते, अतः यह बता सकना संभव नहीं है कि इनमें से कितने तार कांग्रेस दल के थे ।

(ख) जी हां । यह मामला विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) डाक-तार अधिकारी इस विषय पर विनियमों का कड़ाई से पालन करते हैं ।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया धनराशि का भुगतान न किया जाना

1920. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कई चीनी मिलों ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो मिलों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मिल पर कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कारखाना-वार 1968-69 में चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने का कुल मूल्य और 15 फरवरी, 1969 को गन्ने के मूल्य का बकाया तथा उसी तारीख को 1967-68 और पूर्व के मौसमों के गन्ने के मूल्य का बकाया बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये** संख्या LT-225/69.]

(ग) राज्य सरकारों से समय-समय पर कहा गया है कि वे अपने राज्यों में चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कड़े कदम उठाएं जिसमें मुकदमें चलाना भी शामिल हो ।

सोयाबीन की खरीद की दरें

1921. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों से कुछ न्यूनतम दरों पर सोयाबीन खरीदने की कोई गारन्टी दी है जिससे इसका उत्पादन बढ़ जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या न्यूनतम दरें निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश के किसानों को 'हम्सा' नामक धान की अधिक उपज देने वाली किस्म की सप्लाई

1922. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के किसानों के लिये निकाली गई 'हम्सा' नामक धान की अधिक उपज देने वाली तथा बढ़िया किस्म की सप्लाई उत्तर प्रदेश के किसानों को भी की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : धान की 'हम्सा' किस्म अभी तक केवल आन्ध्र प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही अनुकूल पाई गयी है अन्य राज्यों में इस की उपयुक्तता का परीक्षण किया जा रहा है । आन्ध्र प्रदेश से बाहर के क्षेत्रों में इस की उपयुक्तता के विषय में निर्णय करने में एक वर्ष या उस से अधिक समय लग सकता है ।

Issue of Milk Tokens by Delhi Milk Scheme

1923. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 57,000 applications are pending for issue of tokens by the Delhi Milk Scheme ;

(b) whether it is also a fact that they are in the queue for the last one year ; and

(c) if so, what is the position at present ?